Electrohomeopathy Medical Council Haryana

Office : H.No. 1114, Sec. 12-A Panchkula
Ph. : 9416945005, 0172-2570317

Sponsored by :

Italica Herbal Remedies

Near IMT, Ward No. 10, Baliyana, Rohtak-124001 (Haryana)
Customer Care : +91-9068781617 | Website : www.italicaherbal.com

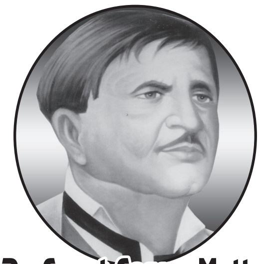

Dr. Count Ceasre Mattei
Founder of Electro Homeopathy
(11th January 1809 - 03rd April 1896)

इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक चिकित्सा विज्ञान के अविष्कारक डा. काउन्ट सीजर मैटी जी की 214 वी जयन्ती कुरुक्षेत्र में मनाई गई

मैटी दिवस 11 जनवरी 2023

संक्षिप्त परिचय : इलेक्ट्रोहोमियो पैथिक चिकित्सा विज्ञान के अविष्कारक डा. काउन्ट सीजर मैटी का जन्म इटली देश के बोलाग्रना नामक शहर में 11 जनवरी 1809 को एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनके द्वारा किये गये इस अनूठे अनुसंधान कार्य के लिये सारे विश्वभर के इलैक्ट्रो होमियो पैथिक चिकित्सा पद्धति के अनुयायी आज के दिन उन्हें याद करते हैं। आज हम उनकी 214 वीं जयंती अखिल भारतीय स्तर पर मना रहे है। इस अवसर पर पूरे हरियाणा सहित देश के अन्य प्रदेश में भी मैटी दिवस का बड़े धूमधाम से आयोजन किया गया।

डॉ. काउन्ट सीजर मैटी ने इलैक्ट्रोहोम्योपैथी नामक हानिरहित, सरल, सस्ती, प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली की खोज सन्1865 में की थी। आज यह पद्धति विश्व के अनेक देशों में कार्यरत है। भारत वर्ष के सभी राज्यों में लगभग पांच लाख इलैक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक कार्यरत है।

डॉ. मैटी ने भारतीय आयुर्वेद को ''इलैक्ट्रोहोम्योपैथी'' के रूप में पुर्नजीवित करने के प्रयास किया है जिसे सारे विश्व में सराहा जा रहा है। डॉ. मैटी ने रस और रक्त को मुख्य आधार बनाकर वनौषधियों से अपनी दवायें बनाकर रोगों से पीड़ित दु:खी मानवता को एक आसान रास्ता देकर मानवता की सेवा की है।

इसी कारण सारे चिकित्सकगण मिलकर प्रतिवर्ष 11 जनवरी को मैटी दिवस बड़े धूमधाम से आयोजित करते है।

चिकित्सा पद्धति का परिचय : डॉ. काउन्ट सीजर मैटी ने इस पद्धति की खोज के लिये अपने कुत्ते से प्रेरणा ली। एक दिन बाग में बैठे हुये उन्होनें देखा कि कुत्ते के त्वचा में तकलीफ थी, कुत्ता विशेष किस्म की घास को सूँघ कर उस पर लोटने लगा और कई दिन तक इस प्रक्रिया के उपरान्त उसका घाव आरोग्य हो गया। डॉ. मैटी को इससे बड़ी प्रेरणा मिली और उन्होनें चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन करते हुए चौदहवीं सदी के दार्शनिक पैरासेल्सस के साहित्य में ''**पौधा के अंदर विघुतीय शक्ति होती है**'' का वाक्य पढ़कर तुरन्त इसी बात को आधार मानकर कार्य करने लगे। धीरे-धीरे उन्हें सफलता मिलती चली गई और सन् 1865 में उन्होने इस पद्धति का नामकरण ''इलैक्ट्रोहोम्योपैथी'' किया।

नाम परिचय : डां. मैटी ने इस पद्धति के नाम में तीन शब्दों का प्रयोग किया जिसमें ''इलैक्ट्रो'' शब्द का अर्थ यहां पर 'त्वरित' या 'बिजली' से लिया गयाज जो वनस्पति विद्युतीय शक्ति को तथा दवा की कार्यप्रणाली को इंगित कराता है। ''होम्यो'' शब्द शरीर की संतुलनावस्था अर्थात ''होम्योस्टैसिस'' पर केन्द्रित है और 'पैथी' शब्द चिकित्सा विज्ञान की ओर इंगित करता है। अत: कहा जा सकता है कि इलैक्ट्रोहोम्यौपैथी वह पद्धति है जिसमें वनस्पति की तीव्र कार्य प्रणाली से शरीर के रोगों को ठीक करने की क्षमता रखती हैं।

सिद्धान्त : डॉ. मैटी ने इस पद्धति का मुख्य आधार शरीर के अन्दर मौजूद रस अर्थात लसिका एवं रक्त दो धातुओं को बनाया अर्थात उन्होंने बताया कि शरीर में रस और रक्त नामक दो मुख्य द्रव्य पदार्थ पाये जाते हैं और इन्ही पदार्थो के दूषित होने अथवा कमी -वेशी से शरीर में समस्त रोगों की उत्पत्ति होती है तथा वनस्पति विद्युतीय शक्ति से संपन्न इन प्राकृतिक औषधियों से सभी प्रकार के रोगों को ठीक किया जा सकता है। डॉ. मैटी ने रोम के हॉस्पिटल में सन् 1867 से 1869 के मध्य लाखों रोगियों को इन दवाओं से अरोग्य कर इन औषधियों की प्रमाणिकता को सिद्ध कर दिया है।

चिकित्सा एवं सेवा कार्य : आज सारे भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों जैसे पाकित्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अरब देश, केन्या, घाना, मारीशस, जर्मनी, अमेरिका एवं इग्लैंड इलैक्ट्रोहोमियो पैथिक के चिकित्सक डॉ. मैटी के बताये हुए रास्ते पर चलकर आम जनता की तथा भारत की 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता की सेवा कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सक भारत की विशेषकर ग्रामीण जनता की सेवा में संलग्न है।

अत: आज हम डा. मैटी जी के 213वीं जयंती के अवसर पर बारम्बार नमन हुए अपे श्रद्धासुमन अर्पित करते है।

DR. VINOD KHANGWAL
CEO Italica Herbal Remedies & KD Pharma
Ex. Chairman
Electrohomeopathy Medical Council Haryana

इलैक्ट्रो होम्योपैथी क्या है :

डॉ. विनोद खन्नगवाल

इलैक्ट्रो होम्योपैथी एक आयुर्विज्ञान है जो अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह अपनी खास किस्म की दवाओं पर आधारित है। इसके जनक श्री काउन्ट सीजर मैटी जोकि बोलोग्ना शहर इटली के रिओला कस्बे में नदी रीनो और लमेन्त्रा के संगम पर एक किले के अन्दर एक छोटी सी प्रयोग शाला में गहन अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पंहुचे कि हमारी शरीर वास्ता में दो ध्रुवीय शक्तियों के द्वारा स्वयं संचालित है। ये दो शक्तियां है :- ऋणात्मक और धनात्मक। इन दोनों शक्तियों को समान अवस्था में रखना ही एक प्रकार से पूर्ण स्वास्थ्य माना गया है। हमारे शरीर के हर भाग व हर अंग को इन्हीं दो प्रकार की शक्तियों में बांटा गया है। हर अंग का, हर भाग का संचालन इसी प्रकार होता है। कोई भी शक्ति कम या ज्यादा नहीं होती। समभाग में रहने से ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। ये सूक्ष्म शक्तियां हमारे शरीर में निरन्तर प्रभावी रहती है। ये हमारे शरीर में रक्त और रस में समावेशित होकर हर कोशिका, ऊतक, अंग तक पहुंच कर हमारे शरीर की साम्यावस्था को बनाये रखने में मदद करती हैं। ये सूक्ष्म शक्तियां हमारे शरीर मे माइक्रो, मैक्रो और ट्रेस एलीमेन्ट के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के रूप में प्राप्त की जाती है। जब कोई कोशिका, ऊतक या अंग इन शक्तियों का प्रतिपालन कम या ज्यादा करना शुरू कर देता है तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। तब उस कोशिका, ऊतक या अंग की साम्यावस्था बिगड़नी शुरू हो जाती है। और इन शक्तियों का आदान-प्रदान सुचारू रूप में नहीं चल पाता है। उस कोशिका की मृत्यु या जीवन ज्योति मन्द होना शुरू हो जाती है या फिर बुझ ही जाती है। धीरे-धीरे इसका प्रभाव सम रूप कोशिकाओं पर पड़ना शुरू हो जाता है। अगर समय रहते इन शक्तियों को फिर से जिन्दा होकर या उसकी जगह उसी के तरह की तैयार करके उस अंग के कार्य को सुचारू रूप से स्वयं सचालित कर देती है। इस चिकित्सा प्रणाली की कार्यकुशलता को देखते हुए जब दोनों (ऋणात्मक और धनात्मक) शक्तियों की साम्यावस्था का बोध हुआ तब उन्होनें इस चिकित्सा विज्ञान का नामकरण इन्ही दो शक्तियों पर आधारित ''इलैक्ट्रों'' रखा। इन्होंने सभी चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन बड़े ही गूढ़ तरीके से किया। होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के द्वारा प्रयोग किये गये पौधों का विशेष अध्ययन करते हुए पौधों को ही उन शक्तियों के संग्रह का मूल स्थान माना। क्योंकि उन्होने होम्योपैथी के सिद्धान्तों के प्रतिकूल रहकर इस चिकित्सा शास्त्र को जन्म दिया। इसी कारण इलैक्ट्रो होम्योपैथी इस आयुर्विज्ञान का नाम रखा गया।

मूल सिद्धान्त :-

जैसे कि विदित है कि उन उर्द्धत शक्तियों को पूरे शरीर में संचालित करने का काम हमारे शरीर में हर कोशिका, ऊतक व अंगों में ले जाने का काम रक्त और रस करते हैं। अर्थात् रस और रक्त ही हमारे शरीर में स्वास्थ्य और रोग का मूल कारण है। रक्त और रस दो ऐसे चैतन्य पदार्थ है जो शरीर में माइक्रो, मैक्रो व ट्रेस तत्वों को हमारे शरीर में जरूरत के अनुसार हमारे शरीर में पहुचाने का कार्य करते हैं और उसे जीवन प्रदान करते हैं। अर्थात् अगर इन दोनों तरल पदार्थों की बनावट में किसी भी प्रकार का अन्तर आता है तो हमारे शरीर में जीवन सिद्धान्त पर अन्तर आना शुरू हो जाता है। रक्त को धनात्मक ध्रुव माना गया है। अर्थात् पाजिटिव पोल माना गया है रस को ऋणात्मक ध्रुव अर्थात् पाजिटिव पोल माना गया है। रस को ऋणात्मक ध्रुव अर्थात् नेगेटिव पोल माना गया हैं जो अंग रक्त पैदा करते हैं एवं रक्त प्रवाह करते हैं उन्हें पाजिटिव पोल कहा जाता है और जो अंग रस पैदा करते हैं वह रस प्रवाह करते हैं उन्हें ऋणात्मक (निगेटिव पोल) कहते हैं। मगर ये दोनों पदार्थ अकेले नहीं वरन् साथ-साथ प्रवाहित होते हैं। जिस कारण ये साम्यावस्था में रहते हुए शरीर को साम्यावस्था प्रदान करते हैं। अत: रक्त पाजिटिव पोल एवं रस निगेटिव पोल हैं।

इलैक्ट्रो होम्योपैथी में स्वास्थ्य की परिभाषा

रक्त व रस की साम्यावस्था को ही स्वास्थ्य कहा जाता है। "The equaliberium position of Blood and Lymph in Purified form is known as Health" यानी की जब तक रस और रक्त शुद्ध अवस्था में माइक्रो, मैक्रो और ट्रेस तत्वों को सुचारू रूप से हमारे शरीर के हर अंग व हर भाग को पहुंचाये और जीवन प्रदान करें व स्वयं अपनी साम्यावस्था में रहे उसे 'स्वास्थ्य' कहते हैं।

इलैक्ट्रो होम्योपैथी में रोग की परिभाषा

जब हमारे शरीर में रक्त व रस की बनावट में अन्तर आना शुरू हो जाता है, या फिर दोनों में कोई एक किसी भी प्रकार से दूषित हो जाता है या उनकी साम्यावस्था में अन्तर आना शुरू हो जाता है, हमारा शरीर रोगी होना शुरू हो जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि स्वयं प्रतिरोधक शक्ति जब इनकी साम्यावस्था के कारण क्षीण होना शुरू हो जाती हैं तो इस कोशिका, ऊतक व अंग को जीवन शक्ति पूर्ण तौर पर नहीं मिल पाती। जिस कारण उस स्थान की कार्यक्षमता क्षीण होना शुरू हो जाती है और रोग पैदा होना शुरू हो जाता है।

इलैक्ट्रो होम्योपैथी में दवाओं का स्त्रोत

यह चिकित्सा प्रणाली विशुद्ध जड़ी बुटियों पर आधारित है। (Depends only upon vagetable kingdom) अर्थात् किसी भी प्रकार का विष, मैटल आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। 113 शुद्ध जड़ी बूटियों से एक विशेष विधि द्वारा इन पौधों से तमाम माइक्रो, मैक्रो और ट्रेस तत्वों को इकट्ठा करके एक विशेष मिश्रण तैयार किया जाता है। जिसे बाद में विशेष विधि से दवा तैयार की जाती है। इस चिकित्सा पद्धति में विशेषता यह है कि पौधों को ताजा व हरा ही प्रयोग किया जाता है। कहा गया है कि अगर जिंदा शक्ति पैदा करनी है तो वह जिंदा पौधों से ही प्राप्त की जा सकती है, न कि मृत पौधों से। यदि जड़ी की नमी कुछ अंश ही सूखा हो तो जड़ी उतनी गुणकारी नहीं हो सकती जितनी कि 100% ताजा। इसमें दवा निर्माण में पौधों के सम्पूर्ण अंगों का प्रयोग किया जाता है ताकि सम्पूर्ण शक्तियां जो पाधों में विद्यमान रहती है, उनका सम्बर्धन किया जा सके अर्थात् सम्पूर्ण पौधे के सम्पूर्ण भाग से दवा का निर्माण किया जाता है। इन पौधों को किसी भी समय नहीं उखाड़ा जाता। इसके लिए जब पौधा पूर्ण भाजन पर होता है, तथा प्रयोग करने के लिए उपयुक्त माना जाता है और हर पौधे का भोजन समय अलग-अलग होता है। इस प्रणाली में प्रकृति के वर्ष चक्र के अनुसार पौधे का दोहन व प्रतिपादन किया जाता है।

कुल 114 पौधों से मात्र 38 दवाओं का निर्माण किया जाता है। जो शरीर में उत्पन्न होने वाले तमाम रोगों का समूल नाश करने में मद्द करता है। इसको दवा का नाम न देकर Remedy कहा गया है। अर्थात् 'दवा' तो रोग को मात्र ठीक करती है, जबकि Remedy रोग का समूल नाश करने में सहायक सिद्ध होता है।

यह 38 मिश्रण हमें सदा-सदा के लिए निरोग बनाने में सहायक होते है। अर्थात इन 100% विशुद्ध जड़ी बूटियों पर आधारित Remedy के सेवन पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। क्योंकि हमारा शरीर उन्हें तत्वों को ग्रहण करता है जिनकी उन्हें जरूरत होती है जिनकी उनको जरूरत नहीं होती, वे स्वयं प्रतिरोध शक्तियों के द्वारा बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। अर्थात् हमारे शरीर में जब पौधों द्वारा प्रतिपादित शक्तियाँ, शरीर में ठीक प्रकार से संचारित हो रही होती है तो हमारे शरीर में एक साम्यावस्था बनी रहती है। और रोगों को जन्मने का स्थान भी नहीं मिल पाता है। इस प्रकार हमारे शरीर निरोग रहता है।

भारत में इलैक्ट्रोहोमियोपैथिक का पदार्पण :

1. सन् 1885 में भारत में इलैक्ट्रोहोमियोपैथिक पदार्पण सन् 1985 में मद्रास के डॉ. अन्ना के द्वारा हुआ वे ही भारत के इलेक्ट्रोहोमियोपैथ थे जिन्होंने भारत में इलैक्ट्रोहोमियोपैथिक से चिकित्सा कार्य करना प्रारम्भ किया तत्पश्चात सन् 1890 में फादर अगस्टस मुलर ने एक इलैक्ट्रोहोमियोपैथिक कुष्ठ चिकित्सा स्थापित किया।
2. सन् 1895 ई० में लखनऊ उत्तर प्रदेश के डॉ. बल्देव प्रसाद सक्सेना जी ने उत्तर भारत के प्रथम इलैक्ट्रोहोमियोपैथिक होने का गौरव प्राप्त किया उन्होनें सन् 1907 में लखनऊ के प्रथम इलैक्ट्रोहोमियोपैथिक शिक्षण संस्थान की भी स्थापना की। तत्पश्चात डॉ. एस.पी. श्रीवास्तव ने इलाहाबाद में एक अन्य इलैक्ट्रोहोमियोपैथिक संस्थान आरम्भ किया।
3. सन् 1908 में डॉ. नन्द लाल सिन्हा ने सुल्तानपुर में इस विधा के द्वारा कार्य चिकित्सा कार्य आरम्भ किया तथा हजारों लोगों को प्लेन द्वारा मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया।
4. सन् 1920 में डा. एल.एल. सिन्हा के कानपुर में एक इलैक्ट्रोहोमियोपैथिक शिक्षण संस्थान व सम्बन्धित कैंसर चिकित्सालय की स्थापना की।
5. सन् 1950 के दशक में स्व० प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू इस विधा से अत्यन्त प्रभावित हुए तथा उन्होने तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती राजकुमार अमृत कौर को आवश्यक निर्देश इस विधा के शासकीय सहयोग हेतु दिये, जिन्हे डॉ. कौशल बीर सिंह (तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमंत्री जो स्वयं एक सफल इलैक्ट्रोहोम्योपैथ थे) द्वार लिखित पुस्तक में देखा जा सकता है।
6. सन् 1956 में प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू के कहने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री (उ.प्र.) डॉ. सम्पूर्णानन्द सरकार द्वारा सात कुष्ट रोगी परीक्षण के तौर पर चिकित्सा हेतु दिये गये थे, जिनको रोग असाध्य हो गया था। डॉ. एल.एन. सिन्हा ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया और कहा कि मैं इन समस्त जीवन से निराश रोगियों की अपनी आधुनिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा (आजकल एलोपैथिक पद्धति में कुष्ठ क निवारार्थ लिये जा रहे समय पांच वर्ष में लगभग आधे समय) ढाई वर्ष में ही रोगियों को पूर्णतया ठीक भी कर दिया परन्तु तत्कालीन सम्पूर्णानन्द सरकार गिर चुकी थी इस पर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने डा. एन.एल. सिन्हा की ''मसीह-उल-हिन्द' की उपाधि से विभूषित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस पद्धति के विकास की पूरी कोशिश करेंगे।

इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की वर्तमान स्थिति :

1. इलैक्ट्रोहोम्योपैथी अपने अविष्कार के उपरांत ही सम्पूर्ण विश्व में फैलने लगी तथा आज भी संसार भर में पद्धति के लाखों चिकित्सक सेवा कर रहे है।
2. भारत में वर्तमान समय में हजारों शिक्षण संस्थाएं तथा चिकित्सालय कार्यरत है जो कि पीड़ित मानवता की सम्यक सेवा कर रहे हैं।
3. आज भारत के कोने-कोने में लगभग 5 लाख चिकित्सक बिना किसी शासकीय सहयोग के इस विधा में चिकित्सा सेवा कर रहे हैं।

इलैक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति शासन का दृष्टिकोण :

1. सन् 1953 में स्वतत्रत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू इस विधा से अत्यंत प्रभावित हुए तथा सन् 1953 में उन्होंने इस पद्धति की शासकीय मान्यता हेतु तत्कालीन उ.प्र. सरकार को आवश्यक निर्देश दियें।
2. भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने अपने शासनकाल के दौरान इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक को पांचवी पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु सहमत हुए।
3. 22 फरवरी 1991 में सांसद जगन्नाथ सिंह के लोकसभा विधेयक पर बहस हुई ओर 16 मई, 1991 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया प्राप्त रिपोर्ट की अभी तक समीक्षा नहीं की गयी है।
4. 26 फरवरी 1993 को स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री बी. शंकरा नन्द ने लोकसभा में स्वीकार किया कि इलैक्ट्रोहोम्योपैथी भारत में प्रचार-प्रसार के स्तर पर कार्यरत है तथा इसके चिकित्सक इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक में चिकित्सा कार्य कर रहे है।
5. पूर्ण स्वास्थ्य मंत्री उ. प्र. श्री बलराम यादव ने लिखित रूप में स्वीकार किया है कि इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक पूर्णत: स्वतंत्र एवं प्रभावी चिकित्सा पद्धति है और इसे शासकीय सहयोग मिलना चाहिये।
6. सांसद श्री सत्यप्रकाश मालवीय ने संसद में इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की शासकीय मान्यता हेतु मांगों का समर्थन किया और एक विधयक प्रस्तुत किया।
7. सन् 1989 में भूतपूर्व प्रधामंत्री स्व. श्री राजीव गांधी जी ने इलैक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता देने हेतु सहमत व्यक्त करते हुए आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिये थे।

8. पूर्व रक्षामंत्री, भारत सरकार एवं पूर्व मुख्यमंत्री उ.प्र. श्री मुलायम सिंह यादव ने भी इलैक्ट्रोहोम्योपैथी के पूर्व में (1989–90) आश्वासन दिया था।

9. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार श्री मोतीलाल बोरा ने इस पैथी की मान्यता हेतु अपना सहयोग दिया था और उ.प्र. राज्यपाल के रूप में भी श्री बोरा ने फरवरी 1996 में इलैक्ट्रोम्योपैथी के डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन हेतु एक समिति का गठन किया था।

10. महाराष्ट्र शासन के अक्टूबर, 1993 में ''महाराष्ट्र कौंसिल ऑफ इण्डियन मेडिसिन'' जिसमें आयुर्वेद स्नातकों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, को इलैक्ट्रोहोम्योपैथी स्नातकों के रजिस्ट्रेशन हेतु निर्देश दिये।

11. इसके अतिरिक्त अनेक उच्च न्यायालयों ने इसके पक्ष में आदेश करते हुए यह निर्देश दिये कि इलैक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा/शिक्षण में कोई हस्तक्षेप न किया जाय तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा इसे तीन माह में मान्यता प्रदान करने का आदेश भा पारित किया गया है।

अनिल विज

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुष
कर्मचारी राज्य बीमा निर्वाचन
खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री
हरियाणा, चण्डीगढ़।

दिनांक [illegible]

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल कांउसिल, हरियाणा के गठन पर एक समारिका का प्रकाशन का किया जा रहा है। इसके लिए सम्पादक वृंद बधाई का पात्र है।

इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा चिकित्सकों के पंजीकरण का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इससे प्रदेश में कार्यरत सभी होम्योपैथी चिकित्सकों का डाटा तैयार होगा, जोकि एक सराहनीय कार्य होगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को हर्बल पौधों पर आधारित श्रेष्ठ चिकित्सा पद्वति माना जाता है। इस विधा से जुड़े चिकित्सक इसे लसीका व रक्त शौधन का नायाब तरीका समझते है, जिससे मरीजों को रक्त की बीमारियों से निजात मिलती है।

भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र में अभूतपूर्व सुधार किया जा रहा है। सरकार द्वारा एलोपैथी के साथ-साथ, आयुष को भी एक वैकल्पिक चिकित्सा के तौर पर विकसित करने का प्रयास है। कुरुक्षेत्र में विश्व का पहला आयुष विश्वविद्यालय और मोरनी में हर्बल औषधीयों के लिए वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकारी जिला अस्पतालों में मरीजों को सस्ती दरों पर एमआरआई एवं सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

हरियाणा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काऊंसिल के गठन पर मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

(अनिल विज)

कार्यालय कमरा नं० 49, 8वीं मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़।
दूरभाष 0172-2740157

राज्यपाल हरियाणा
GOVERNOR HARYANA

हरियाणा राज भवन,
चण्डीगढ़ – 160019

HARYANA RAJ BHAVAN,
CHANDIGARH - 160019

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ है कि 'दूसरे हरियाणा इलेक्ट्रोहोम्योपेथिक चिकित्सा सम्मेलन' का आयोजन 4 व 5 मार्च, 2016 को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में किया जा रहा है। इस आयोजन को चिरस्मरणीय बनाने के लिए स्मारिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

वर्तमान समय में जल, वायु, आहार एवं विहार इस हद तक विकृत और दूषित हो चुके हैं कि धरती पर जीवन को खतरा पैदा हो गया है और हमें गम्भीर रोगों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर चिकित्सा व औषध विज्ञान ने भी आज बहुत अधिक प्रगति कर ली है। इस क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति का परिणाम है कि अनेक भयानक रोगों पर भी काबू पा लिया गया है। इस काम में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का योगदान है। इनमें इलेक्ट्रोहोम्योपेथिक चिकित्सा पद्धति रोग निवारण की ऐसी पद्धति है जिसके शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं होते।

मुझे खुशी है कि इलेक्ट्रोहोम्योपेथिक चिकित्सा पद्धति के अनेक चिकित्सक रोहतक में दो दिवसीय सम्मेलन में अपने ज्ञान और अनुभव को सांझा करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन से निकले निष्कर्ष चिकित्सा–क्षेत्र के लिए अत्यन्त उपयोगी साबित होंगे। मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं।

(प्रो0 कप्तान सिंह सोलंकी)

EPABX 0172 -2740581, 2740583 Fax - 0172 - 2740557 E-mail : governor@hry.nic.in

D.O. No. CMH-2016 /..............................

मनोहर लाल
MANOHAR LAL

सत्यमेव जयते

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA,
CHANDIGARH.

Dated ......12.1.2016......

संदेश

मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि सी. एम. इलेक्ट्रोहोम्योपेथी शिक्षा एवं विकास परिषद्, रोहतक द्वारा 'दूसरा हरियाणा इलेक्ट्रोहोम्योपेथिक चिकित्सा सम्मेलन' 4 व 5 मार्च, 2016 को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में आयोजित किया जा रहा है । इस अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित की जाएगी ।

यह सम्मेलन इलेक्ट्रोहोम्योपेथिक चिकित्सकों को इस चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में हो रहे नवीन शोध कार्यों की जानकारी देगा, जिससे वे पीड़ितों का और बेहतर ढंग से उपचार कर सकेंगे । इलेक्ट्रोहोम्योपेथी जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में हो रही प्रगति ने रोगियों में आशा की एक नई किरण जगाई है । वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में जड़–मूल से बीमारी का उपचार करने की एक अनूठी विशेषता है ।

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ आयुष सेवाओं को भी जोड़ा है ताकि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा सके । कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय भी खोला जा रहा है ।

मैं इस सम्मेलन के सफल आयोजन की मंगल कामना करता हूँ ।

मनोहर लाल

(मनोहर लाल)

मनोहर लाल
MANOHAR LAL

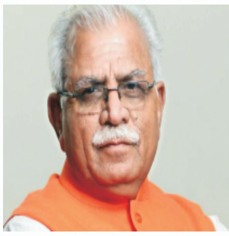

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA,
CHANDIGARH.

Dated 16-10-2018

संदेश

मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक मैडिकल परिषद 28 अक्तूबर, 2018 को सिरसा में चतुर्थ इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक मैडिकल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर 'इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक के बढ़ते कदम–भाग 4' नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया जाएगा।

इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे नवीन शोध कार्यों एवं प्रगति ने रोगियों में आशा की एक नई किरण जगाई है क्योंकि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में बीमारी का जड़–मूल से उपचार करने की अनूठी विशेषता विद्यमान है।

मैं चतुर्थ इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक मैडिकल सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ।

(मनोहर लाल)

अनिल विज
Anil Vij

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष, खेल एवं युवा मामले, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अभिलेखागार मंत्री, हरियाणा, चण्डीगढ़।

HEALTH, MEDICAL EDUCATION, AYUSH, SPORTS & YOUTH AFFAIRS, SCIENCE & TECHNOLOGY & ARCHIVES MINISTER, HARYANA, CHANDIGARH.

DO/Dated 34060 / 17.10.2018

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल कौंसिल, हरियाणा द्वारा 28 अक्तूबर 2018 को सिरसा में इलेक्ट्रो-होम्योपैथी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान चिकित्सकों एवं मरीजों के अनुभव पर आधारित 'इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बढ़ते कदम भाग-4' नामक पुस्तक का प्रकाशन सराहनीय कार्य है।

यह पद्धति नए प्रयोगों का परिणाम है, इससे जुड़े लोगों को चाहिए कि वे अपनी प्रतिभा एवं ज्ञान से मरीजों के जीवन को रोशन करें। इलेक्ट्रो-होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा इसे हर्बल पौधों पर आधारित चिकित्सा पद्धति माना जाता है, जिसकी स्वीकार्यता के लिए और मेहनत की आवश्यकता है।

भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार द्वारा अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदेश में एलोपैथी के साथ-साथ, आयुर्वेद, योग व होम्योपैथी सहित आयुष की सभी विधाओं को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए कुरुक्षेत्र में विश्व का पहला श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

आपकी पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

(अनिल विज)

हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के आदेशानुसार आयुष विभाग हरियाणा ने इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए कमेट का गठन किया।

कार्यालय आदेश

पत्र कमांक 234/डी–2/आयु/हरि/2019/ 6412 दिनांकः– 06/3/2019

महानिदेशक आयुष हरियाणा के आदेशानुसार "Recongnition of Electro Homoeopathy Medical System" विषय पर Elecrohomeopathy Medical Council. Haryana के पत्र जो की स्वास्थ मंत्री कार्यालय हरियाणा तथा मुख्यमंत्री कार्यालय हरियाणा के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुए, उनके बारे मे निरिक्षण करके उसके रजिस्ट्रेशन व एक्ट बनाने की प्रकिया पूरी करने हेतू निम्नलिखित अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया हैः–

1. डा0 सतपाल बहमनी, निदेशक आयुष	अध्यक्ष
2. डा0 सतपाल सिंह, डी0ए0ओ0, अम्बाला	सदस्य
3. डा0 सुरेन्द्र यादव, एच0एम0ओ0	सदस्य
4. डा0 चन्दन दुआ, ए0एम0ओ0	सदस्य
5. डा0 विनोद खनगवाल, अध्यक्ष ई0एच0एम0सी0एच0आर0 (वार्ड नं0 10, नजदीक काली मन्दिर, बलियाना, रोहतक)	सदस्य
6. डा0 समुन्दर सिंह, सचिव, ई0एच0एम0सी0एच0आर0 (गांव व पोस्ट, सुदकैन कलां, तहसील0 उचाना, जिन्द)	सदस्य

उक्त सभी कमेटी के सदस्यों को आदेश दिए जाते है कि आप दिनांक 15.03.2019 को प्रातः 10.00 बजे निदेशक आयुष हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होवे। ताकि मामले मे आगामी कार्यवाही की जा सकें।

निदेशक आयुष हरियाणा।
Director
Directorate of Ayush
Haryana, Panchkula

रजि0
प्रेषक

महानिदेशक आयुष हरियाणा,
पंचकूला।

सेवा में

1. डा0 विनोद खनगवाल, अध्यक्ष ई0एच0एम0सी0एच0आर0
वार्ड नं0 10, नजदीक काली मन्दिर, बलियाना, रोहतक।

2. डा0 समुन्दर सिंह, सचिव, ई0एच0एम0सी0एच0आर0
गांव व पोस्ट, सुदकैन कलां, तहसील0 उचाना, जिन्द।

पत्र कमांक 234/डी–2/आयु/हरि/2019/10870
दिनांकः– 16/4/2019

विषयः– **सूचना प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको लिखा जाता है कि दिनांक 04.04.2019 को निदेशालय आयुष हरियाणा, पंचकूला में हुई बैठक के अनुसार कमेटी द्वारा चाही गई सूचना/दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस में कमेटी के अध्यक्ष डा0 सतपाल बहमनी, निदेशक आयुष को प्रस्तुत करे। इस मामले में अध्यक्ष द्वारा आगामी बैठक की तिथि 29.04.2019 (24-4-2019) प्रातः 10.00 बजे, निदेशालय आयुष हरियाणा, पंचकूला में निश्चित की गई है।

निदेशक आयुष
कृतेः– महानिदेशक आयुष हरियाणा।

रजि0
प्रेषक

महानिदेशक आयुष हरियाणा,
पंचकूला।

सेवा में

1. डा0 विनोद खनगवाल, अध्यक्ष
ई0एच0एम0सी0एच0आर0,
वार्ड नं0 10, नजदीक काली मन्दिर,
बलियाना, रोहतक।

2. डा0 समुन्दर सिंह, सचिव,
ई0एच0एम0सी0एच0आर0,
गांव व पोस्ट, सुदकैन कलां,
तहसील0 उचाना, जिन्द।

पत्र क्रमांक 234/डी–2/आयु/हरि/2019/14573
दिनांकः– 24/5/2019

विषयः– **Meeting regarding Recongnition of Electro Homoeopathy System of Medical under Chairmanship of Director AYUSH Haryana, Panchkula on 24.04.2019.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको लिखा जाता है कि दिनांक 24.04.2019 को विषयवर्णित मीटिंग में हुए विचार विमर्श एवं लिए गए निर्णय अनुसार राजस्थान व अन्य किसी भी राज्य में Electro Homoeopathy बारे अधिसूचना (Notification) तथा कौंसिल के रजिस्ट्रार की नियुक्ति से सम्बन्धि दस्तावेज आप द्वारा प्रस्तुत किए जाने थे। परन्तु आप द्वारा अभी तक वांछित दस्तावेज/सूचना निदेशालय आयुष को प्रस्तुत नहीं किए गए है।

अतः आप उक्त वांछित दस्तावेज/सूचना प्राप्त करते हुए तुरन्त निदेशालय आयुष को प्रस्तुत करे। ताकि मामले में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

निदेशक आयुष
कृतेः– महानिदेशक आयुष हरियाणा।

पत्र कमांक 234/डी0-2/आयु/हरि/2020/ दिनांकः-

प्रेषक

महानिदेशक आयुष हरियाणा,
पंचकूला।

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य एंव आयुष विभाग।

विषयः- **Note received from PS/ HM-Regarding Electorhomeopathy Council-reg.**

****

उपरोक्त विषय के सदंर्भ में।

विभाग को माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार ने अपने नोट डायरी कमांक 33581 दिनांक 23.07.2020 (प्रति संलग्न) के द्वारा सूचित किया गया है कि इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक काउसिंल के सदस्यों ने अनुरोध किया है कि उनका प्रस्ताव आयुष विभाग के पास काफी समय से लम्बित है। आयुष विभाग द्वारा पहले ही तकनीकी कमेटी का गठन किया जा चुका है। अतः स्वास्थ्य मत्री, हरियाणा सरकार ने चाहा है कि उन्हे तकनीकी कमेटी द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जाए।

विभाग का कहना है कि मामले मे दिनांक 16.04.2019 को डा0 सतपाल बहमनी, निदेशक आयुष हरियाणा की अध्यक्षता मे 6 सदस्ययी कमेटी का गठन किया जा चुका है (प्रति संलग्न)। इसके अतिरिक्त विभाग के पत्र कमांक 6788 दिनांक 05.03.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा श्री विनोद खंगवाल, चैयरमैन, इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक मैडिकल काउंसिल हरियाणा को लिखा गया था कि हरियाणा राज्य मे इलैक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा पद्वति मे शिक्षा, अनुसंधान एंव विकास से सम्बन्धित कितने चिकित्सक कार्य कर रहे हैं, उनकी पूर्ण सूची व पद्वति से सम्बन्धित सभी दस्तावेज निदेशालय को उपलब्ध करवाए। परन्तु इस बारे विभाग को अभी तक कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है।

अतः सरकार से निवेदन है कि उक्त स्थिति से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को अवगत करवाने की कृपा करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

निदेशक आयुष हरियाणा।

पृ0 कमांक 234/डी0-2/आयु/हरि/2020/ 27438 **दिनांकः-** 18/9/20

इसकी एक प्रति विनोद खंगवाल, अध्यक्ष, ई0एच0एम0सी0एच0आर0, मकान नं0 1114, सैक्टर-12, पंचकूला, हरियाणा को सूचनार्थ प्रेषित है।

निदेशक आयुष हरियाणा।

रजि0
प्रेषक

महानिदेशक आयुष हरियाणा,
पंचकूला।

सेवा में

1. डा0 विनोद खनगवाल, अध्यक्ष ई0एच0एम0सी0एच0आर0
वार्ड नं0 10, नजदीक काली मन्दिर, बलियाना, रोहतक।

2. डा0 समुन्दर सिंह, सचिव, ई0एच0एम0सी0एच0आर0
गांव व पोस्ट, सुदकैन कलां, तहसील0 उचाना, जिन्द।

पत्र क्रमांक 234/डी–2/आयु/हरि/2019/ 10870
दिनांकः– 16/4/2019

विषयः– सूचना प्रदान करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको लिखा जाता है कि दिनांक 04.04.2019 को निदेशालय आयुष हरियाणा, पंचकूला में हुई बैठक के अनुसार कमेटी द्वारा चाही गई सूचना/दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस में कमेटी के अध्यक्ष डा0 सतपाल बहमनी, निदेशक आयुष को प्रस्तुत करे। इस मामले में अध्यक्ष द्वारा आगामी बैठक की तिथि 29.04.2019 24-4-2019 प्रातः 10.00 बजे, निदेशालय आयुष हरियाणा, पंचकूला में निश्चित की गई है।

निदेशक आयुष
कृतेः– महानिदेशक आयुष हरियाणा।

रजि0

प्रेषक

निदेशक आयुष हरियाणा,
पंचकूला।

सेवा में

Sh. Vinod Khangwal, Chairman,
Electrohomoeopathic Medical Council Haryana,
#1114, Sector-12, Panchkula.

पत्र क्रमांक डी0–3/आयु/हरि/2020/6788
दिनांकः– 05/03/2020

विषयः– Regarding recognition of Electro Homoeopathy System of Medicine.

****

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको लिखा जाता है कि हरियाणा राज्य में Electrohomoeopathy की चिकित्सा पद्धति में शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास से सम्बन्धित कितने चिकित्सक कार्य कर रहे है, उनकी पूर्ण सूची व पद्धति से सम्बन्धित सभी दस्तावेज निदेशालय को उपलब्ध करवाए।

अतः आप उक्त अनुसार पूर्ण सूचना संदर्भित पत्रों सहित निदेशालय आयुष हरियाणा को प्रस्तुत करे। ताकि मामले में परिषद की मान्यता हेतू प्रस्ताव सरकार को भेजा जा सके।

निदेशक आयुष हरियाणा

प्रेषक

निदेशक आयुष हरियाणा,
पंचकूला।

सेवा में

Chairman,
Electrohomoeopathy Medical Council Haryana,
Panchkula.

पत्र कमांक निदेशक/आयु/हरि/2020/10649
दिनांकः– 27/04/2020

विषयः– **Electrohomoeopathy को मान्यता व एक्ट बनाने हेतू स्वीकृति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

अपको लिखा जाता है कि आप द्वारा दिए गए उपरोक्त विषयअन्तर्गत पत्र के प्रति उत्तर में विभाग को यह सूचित करे कि Electrohomoeopathy के शिक्षा एवं विकास के सम्बन्ध में कितने चिकित्सक कार्यरत है तथा कितने कॉलेज, अस्पताल व चिकित्सालय कार्यरत है। सभी चिकित्सकों का नाम, पिता का नाम, पूर्ण स्थायी पता, मोबाईल नम्बर, ई–मेल तथा कॉलेज का भी पूर्ण विवरण इत्यादि उपलब्ध करवाएं। उक्त बारे आपको पूर्व में भी विभाग द्वारा लिखा जा चुका है, परन्तु अभी तक इस बारे कोई सूचना विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

निदेशक आयुष हरियाणा।
Director
Directorate of Ayush,
Haryana, Panchkula

निदेशालय आयुष विभाग हरियाणा

(आयुर्वेद, योग व नैचुरोपैथी, युनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी)

आयुष भवन, नजदीक युथ होस्टल, सैक्टर–3, पंचकुला

ई–मेलः–dgayushhry@gmail.com दूरभाष नं0:– 0172-2570909, 2570919(फैक्स)

आर.टी.आई एक्ट/रजि0

प्रेषक,

राज्य जन सूचना अधिकारी एवं अधीक्षक,
निदेशालय आयुष हरियाणा,
पंचकूला।

सेवा में,

Dr. Vinod Khangwal,
Ward no. 10, Baliyana
Rohtak 124001.

पत्र क्रमांक आर0टी0आई/वी( )/ई–6/आयु/हरि/2021/503
दिनांकः– 07/01/2021

विषयः– **सूचना के अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन।**

****

उपरोक्त विषय पर आपके आवेदन पत्र दिनांक 25.12.2020 तथा 05.01.2021 के संदर्भ में।

आप द्वारा चाही गई सूचना आपको सत्यापित प्रतियो सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जाती है।

संलग्नः– उपरोक्त।

राज्य जन सूचना अधिकारी
एवं अधीक्षक

Directorate of AYUSH Haryana
Sector-3, Panchkula
Diary No. 415
Date 7/1/2021

Subject:- **RTI Submission 2005. SH. Vinod Khangwal, ward no. 10, Baliyana, Rohtak.**

क्या राज्य जन सूचना अधिकारी –कम–अधीक्षक, आयुष विभाग हरियाणा उपरोक्त विषय पर अपने पत्र कमांक 172 दिनांक 5/01/2021 व कमांक 318 दिनांक 06/01/2021 की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगें।

श्री विनोद खनगवाल वार्ड न0 10 बलियाना (रोहतक) द्वारा माँगी गई RTI की सूचना निम्न प्रकार है :–

Sr. No.	Questions	Answers
1.	जिस आदेश व दिशा निर्देश के तहत हरियाणा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए कमेटी का गठन किया गया उसकी सत्यापित प्रति प्रदान करें।	प्रति सलंग्न (Annexure 'A')
2.	इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए कमेटी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कांउसिल के सदस्यों की सूची प्रदान करें।	प्रति सलंग्न (Annexure 'A')
3.	इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त हरियाणा में जो–जो संस्था व एनजीओ कार्यरत है उनकी सूची प्रदान करें।	इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता बारे मामला विभाग के विचारधीन है तथा सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त हरियाणा में कार्यरत संस्था व एन0जी0ओ0 की सूची विभाग में उपलब्ध नहीं है।
4.	हरियाणा सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मान्यता के लिए दिए गए दिशा–निर्देश की प्रति प्रदान करें।	प्रति सलंग्न (Annexure 'B')

निदेशक आयुष हरियाणा।

सेवा में

राज्य जन सूचना अधिकारी –कम–अधीक्षक,
निदेशालय आयुष, हरियाणा।

पत्र कमांक डी–2 / आयु / हरि / 2021 / 499 दिनांक: 7/1/2021

(Annexure 'A')

कार्यालय आदेश

पत्र कमांक 234/डी–2/आयु/हरि/2019/8790 दिनांकः–26.03.2019

महानिदेशक आयुष हरियाणा के आदेशानुसार "Recongnition of Electro Homoeopathy Medical System" विषय पर Elecrohomeopathy Medical Council Haryana के पत्र जो की स्वास्थ मंत्री कार्यालय हरियाणा तथा मुख्यमंत्री कार्यालय हरियाणा के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुए, उनके बारे मे निरिक्षण करके उसके रजिस्ट्रेशन व एक्ट बनाने की प्रकिया पूरी करने हेतू निम्नलिखित अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया हैः–

1.	डा0 सतपाल बहमनी, निदेशक आयुष	अध्यक्ष
2.	डा0 सतपाल सिंह, डी0ए0ओ0, अम्बाला	सदस्य
3.	डा0 सुरेन्द्र यादव, एच0एम0ओ0	सदस्य
4.	डा0 चन्दन दुआ, ए0एम0ओ0, अम्बाला	सदस्य
5.	डा0 विनोद खनगवाल, अध्यक्ष ई0एच0एम0सी0एच0आर0 (वार्ड नं0 10, नजदीक काली मन्दिर, बलियाना, रोहतक)	सदस्य
6.	डा0 समुन्दर सिंह, सचिव, ई0एच0एम0सी0एच0आर0 (गांव व पोस्ट, सुदकैन कलां, तहसील0 उचाना, जिन्द)	सदस्य

Director AYUSH, Haryana, Panchkula

उक्त मामले में दिनांक 15.03.2019 को मीटिंग में विचार विमर्श उपरान्त लिए निर्णय बारे अग्रिम कार्यवाही हेतू सभी कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिए जाते है कि आप दिनांक 04.04.2019 को प्रातः 10.00 बजे निदेशक आयुष हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होवे। ताकि मामले मे आगामी कार्यवाही की जा सकें।

Attested

Director AYUSH, Haryana, Panchkula.

निदेशक आयुष हरियाणा।

(Annexure 'B')

C.M. ELECTROHOMEOPATHY EDUCAT [redacted] ELOPMENT COUNCIL

Office : Housing Board, H. No. 6 [redacted] tak, Haryana
Ph. : 9728331717, 941612395
E-mail : dr.khangwal@gmail.com

40

1056
14/1/16

Ref. No. CMEH 120/15

DGHS 1648
Dated 07/01/16

Date 30.12.15

130

सेवा में,

माननीय श्री अनील विज जी
स्वास्थय मंत्री
हरियाणा

The members of council met with Hon'ble HM and submitted this representation for examination and a/a!

PA

विषय : **इलेक्ट्रो होमियो पैथिक के विकास के संदर्भ मे**

DGHS

आदरणीय महोदय,

हमारी संस्था इलेक्ट्रो होमियो पैथिक के विकास के लिए पिछले काफी समय से कार्य कर रही है । जगह जगह पर फ्री कैम्पु व दवाईयाँ बाटते है हम आपसे अनुरोध करते है कि आप हमारे इलेक्ट्रो होमियो पैथिक के लिए राज्यसत्र की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएँ ।

सरकारी हॉस्पीटल मे इलेक्ट्रो होमियो पैथिक के डाक्टर के बैठाने की व्यवस्था की जाये । जिसमें हमार संस्था दवाईयाँ फ्री देगी ।

पी.जी.आई रोहतक मे सी.एम.ई इलेक्ट्रो होमियो पैथिक प्रोग्राम करने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए ।

Health Minister
... 368
... 05-01-2016

धन्यवाद !

Attested

Director AYUSH,
Haryana, Panchkula.

भवदीय
डॉ. विनोद खन्नगवाल
E-mail : dr.khangwal@gmail.com

AYUSH

ESD
Vaidya
08-1-16

Directorate of AYUSH Haryana
Sector-3, Panchkula
Diary No. 11331
Date 24/7/2020

The Members of Electro Homeopathy Council met with Hon'ble HM and requested that case of this Council is pending in O/o DG Ayush since a long time. A Committee of Experts in Ayush Department has already been constitutated.

Hon'ble HM has desired to be apprised about the action taken by the committee so far, immediately.

PS/HM

DG Ayush

Diary No. 3358
Date: 23/07/2020
Home, ULB, Health & Tech. Edu.,
S & T Minister, Haryana

DS, EED

Put up Urgent
24/7/20

Attested

Director AYUSH,
Haryana, Panchkula.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
भारत सरकार
Minister of Health & Family Welfare
Government of India

जगत प्रकाश नड्डा
Jagat Prakash Nadda

D.O. Dy.No.275440/2014-HFM

December 14, 2014

Dear Shri Rakesh Krishna,

I thank you for your letter dated 14th November, 2014 in which you have raised the issue of inclusion of Electro-Homoeopathy among the new systems of medicine. I am pleased to inform that the present Government is in the process of introducing a Bill in the Parliament to recognise new systems of medicine. Once the Electro-Homoeopathy is recognised as a new system of medicine, necessary action will be taken by the Ministry of Health & Family Welfare for its inclusion in the Health Policy.

With regards,

Yours sincerely,

(Jagat Prakash Nadda)

Shri Rakesh Krishna,
State General Secretary,
Electro-Homoeopathic
Medical Association,
Manachira Tower,
A.G. Road,
CALICUT – 673 001 (Kerala).

348, ए-स्कंध, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
348, A-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011

(28)

No.V.25011/276/2009-HR
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
Department of Health Research

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 5th May 2010

ORDER

This order is passed in pursuance of High Court of Allahabad order dated 3.8.2009 in Civil Miscellaneous Writ Petition No. 31904 of 1991, in which the Court has directed that, "the petitioner may file a fresh representation before the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi, bringing on record various orders passed by various High Courts and that of the Supreme Court. If such a representation is made with regard to recognition of the course, the authority will consider and decide that matter by a reasoned and speaking order within six months from the date of the production of a certified copy of this order with the representation. If necessary, the petitioner would be accorded personal opportunity of hearing by the respondents".

The NEHM through Dr N K Awasthy filed a representation dated 28.10.2009 before the Secretary, which was received on 31.11.2009. The major issues raised in this representation are as follows:

1. Electropathy is a medical system based on herbal and its medicines are prepared from medicinal plants with the help of distilled water. Its medicines are therefore 100% safe and curative.
2. Not a single complaint/ case has been reported/ registered with the Government regarding death of any patient.
3. There have been various Court judgments supporting electropathy. In support of this contention, the representation has annexed copies of orders relating to these cases.
4. Apart from the Court cases, the representation has also submitted affiliation with World Council, Reports of GB Pant University of Agriculture & Technology, letters from Deputy Minister of Health & Family Welfare dated 14.6.91 & 17.6.91, letter from Government Medical Councils, answers to Parliament questions, notification of directorate of health services, Government of NCT of Delhi, private member bill, letter from former Minister of Health & Family Welfare, article published in the Indian Journal of Veterinary Medicine, Punjab Agricultural Magazine, Ludhiana, Notification of J &K Government and letter of SSP Agra (UP), letter of Government of MP, as well as some publications (books & magazines) on electropathy.
5. Dr Awasthy has represented that the Health Ministry should honour the judgment and give shelter to Electropathy Medical System by permitting NEHM for promotion, development & Research (Education & Practice) in Electropathy Medical System at least initially for 15 years so that the necessary criteria for the recognition of a new medical system may be achieved without any hindrances.

Certified

(मोहम्मद सलीम)
(MOHD. SALEEM)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(22)

6. The representation was examined in the Ministry. The facts are as follows:

The following orders of the Court have been submitted:

i) Order dated 14.8.92 within Suit No 27 of 1992 by Additional District Judge, Delhi has directed that No public notice be issued concerning the activity of the plaintiff during the pendency of the suit.

ii) Order of High Court of Delhi dated November 1998, in FAO No. 1205 of 1998: In public notice it will not be stated that the persons possessing the diploma/ certificates from the respondent No 10 are not entitled to practice Electro Homeopathy system of Medicine.

iii) Order of Hon'ble Supreme Court made on 12.01.2000 in SLP No 11262/2000 (Union of India vs Naturo Electro Homeo Medicose of India):

> *"Learned counsel for the respondent has pointed out that as per his instructions the order made by the High Court in C.W.P No. 4015/96 to the extent indicated at page 4 of the paper book has been accepted by the petitioners and in view of the matter the impugned direction given by the High court is unexceptionable"*
>
> *"In view of the order made by us on 12.10.2000 and that no proceedings having been initiated, challenging the order made in the C.W.P No.4015/96, we decline to entertain the matter."*

iv) Order of High Court of Jabalpur, MP: 2957/94 dated 19.3.1999 which essentially stated that the degree/diploma obtained by them are not recognized under any law. The practice in alternative system of medicine is not regulated by any stature & hence in the absence of regulation/ prohibition they cannot be asked to stop practice. No legislation governing practice or teaching in alternate system of medicine has been enacted either by the Union or the State. In this case the MP Government has taken action under the MP Ayurvigyan Parished Adhiniyam 1990. The Court held that this Act applies only to allopathic system of medicine and also stated that no other law was brought to the notice of the Court. So long as a valid law is not made regulating this branch, therefore stopping the petitioners from practicing in alternative system of medicine or imparting education is illegal.

v) Order of High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur bench, Gwalior in WP No 2462/08 in which directions were given that orders in WP 2957/94 shall apply.

Certified

(मोहम्मद सलीम)
(MOHD. SALEEM)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

.....3/-

Apart from the above, Letter D.O. No. 2921/ DM (H&FW)91/VIP dated 17.6.1991 from Dasai Chowdhry, Deputy Minister of Health & Family Welfare to Shri Jagannath Singh , MP has been annexed, which states that:

"I have authorized N E H M of INDIA for the Development Promotion & Research of electropathy in India"

The Government of India issued an Order No. R. 14015/25/96-U & H(R) (pt) dated 25th November 2003, based on the recommendations of a "Standing Committee of Experts" under the chairmanship of Director General ICMR, set up by the Government of India. Based on the recommendations of the Committee, the Government of India has given the following orders:

The committee did not recommend recognition to alternative medicines except Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy & Yoga & Naturopathy which were found to fulfill the essential & desirable criteria developed by the Committee for recognition of a system of medicine.

The Committee further recommended that all systems of medicine not recognized as separate systems should not be allowed to continue full time Bachelor and Masters degrees and the term doctor should be used only by practitioners of systems of medicine recognized by Government of India. Those considered as mode of therapy can be conducted as certificate coursers for registered medical practitioners.

The Committee, however, recommended that certain practices as Acupuncture which qualified as modes of therapy, could be allowed to be practised by registered practitioners or appropriately trained personnel.

The Committee, based on the essential & desirable criteria, did not find electropathy to qualify as a system of medicine. Therefore, it is clear that, in accordance with this order, electropathy cannot run full time Bachelor and Masters degrees and those practicing this cannot use the term "doctor".

NEHM, as per the document submitted by them is conducting diploma and certificate courses, and not running full time Bachelor and Masters degrees.

In so far as recognizing the courses run by them, it is clarified that the concerned boards/statutory bodies like the Medical Council, give recognition to courses. Since electropathy is not recognized as a system of medicine, there is no system for recognition of any course run by them in the Health Ministry.

NEHM, has also not submitted any document according to which they fulfill the essential & desirable criteria developed by the Committee for recognition of a system of medicine.

However, the Order No. R. 14015/25/96-U & H(R) (pt) dated 25th November 2003, does not bar the Development & Research of Electropathy.

Certified

(मोहम्मद सलीम)
(MOHD. SALEEM)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

........4/-

In accordance with Orders of the High Court & Supreme Court quoted here, there is no proposal to stop the petitioners from practicing in electropathy or imparting education, as long as this is done within the provision of the Order No. R. 14015/25/96-U & H (R) (Pt) dated 25th November 2003. Once the legislation to recognize new systems of medicine is enacted, any practice or education would be regulated in accordance with the said Act. The representation of the petitioner dated 28.10.2009 is disposed off accordingly.

This issues with the approval of Secretary, Department of Health Research in this Ministry.

(MOHD. SALEEM)
Under Secretary to the Government of India ~~of India~~
Tel No.23061986

To

N. E. H. M. of India, H.O. C-2 C/123, Pocket 12, Janak Puri, New Delhi - 110058.

Copy for information and necessary action to :

1. Shri Ravi Bhushan Singhal, Assistant Solicitor General of India, , 200 Lukerganj, Allahabad. (U.P)
2. Shri Ravi Bhushan Singhal, Assistant Solicitor General of India, High Court of Allahabad, Allahabad. (U.P)

(MOHD. SALEEM)
Under Secretary to the Government of India ~~of India~~

Certified

(MOHD. SALEEM)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

No.C.30011/22/2010–HR
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(Department of Health Research)
****

Nirman Bhawan, New Delhi;
Dated: 21.06.2011.

ORDER

Subject:- Regarding practice, education and research in alternative system of medicine

---

An order was passed on 11.10.2010 by the Lucknow Bench of the Hon. High Court of Judicature at Allahabad in the WP No.3992/2004 filed before the Hon. High Court of Judicature at Allahabad at Lucknow Bench. in Electro Homeo Medical Association of India vs. State of UP & 4 Ors. as under:

" *Heard Learned counsel for the parties and perused the record.*

With regard to it grievance, the petitioner may make a representation within a month from today in the Light of the Government Order dated 5.5.2010 (No.V.25011/276/2009-HR) issued by the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare Department of Health Research.

If the representation made by the petitioner within the aforesaid period, the same shall be decided by the Government of India within three months from the date of its filing.

With above observation, the writ petition is finally disposed of."

2. Consequently, in accordance with the said order, Sh. Taj Ali, Secretary, Electro Homeo Medical Association of India, Lucknow has filed a representation in the matter vide his letter dated 03.11.2010 in which he has made the following submissions and prayer:-

" *That the order dated 25.11.2003 addressed to different officials and copies sent, however, to all their subordinates was mis-interpreted as if the Government of India has altogether prohibited the development and research of Electropathy, however the order dated 05.05.2010 has clarified that there is no proposal to stop the petitioner from practicing in electropathy or imparting education as long as this is done within the parameters of the order dated 25.11.2003 and once the legislation to recognize new system of medicine is enacted any practice or education would be regulated in accordance with the said Act.*

On the basis of the order dated 25.11.2003 different authorities issued preventive orders as if there can be no teaching or practice in Electropathy/Electro Homoeopathy at all and that forced the applicant to file the above noted writ petition in the Hon'ble High Court Allhabad, Lucknow Bench, Lucknow. However in the meantime the order dated 05.05.2010 has clarified the position and the Hon'ble Division Bench in the light thereof has opined that now no detailed order is required to be passed and the petitioner may make the representation to the Government of India and Government of India may pass the order in the light of the order dated 05.05.2010.

It is, therefore, respectfully prayed that the authorities to whom the order No.R.14015/25/96-U&H(R)(Pt.) dated 25.11.2003 was issued, may kindly be communi-

2/-

cated to read the order in the light of the Government of India later order dated 05.05.2010 and act only in accordance with the same and may not cause any interference in contravention of the same."

3. As per the directions of the Hon. Lucknow Bench of the High Court of Judicature at Allahabad, the representation has been considered. It is clarified that the MH&FW Order No.R.14015/25/96-U&H(R)(Pt.) dated 25.11.2003 and No.V.25011/276/2009-HR dated 05.05.2010 would be treated as instructions of the Government of India related to practice, education and research with regard to alternative systems of medicine like electropathy, electro-homoeopathy, etc.

4. A copy of each of the said two orders viz. MH&FW Order No.R.14015/25/96-U&H(R)(Pt.) dated 25.11.2003 and No. V.25011/276/2009-HR dated 05.05.2010 is being forwarded herewith to each of the State Governments/UTs for information and necessary action. With this your representation is disposed off.

5. This issues with the approval of Secretary (Department of Health Research), Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi.

(J. P. Mehta)
Director (HR)

To,

All Health Secretaries of State Governments/Union Territory Administrations.

Copy to:

1. Sh. Taj Ali, Secretary, Electro Homeo Medical Association of India, 8 - Lal Bagh, Lucknow – 226001 (Uttar Pradesh).
2. The Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

Certified

(मोहम्मद सलीम)
(MOHD. SALEEM)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

ITEM NO.1 COURT NO.13 SECTION IVB

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 23572/2009

(Arising out of impugned final judgment and order dated 10/08/2009 in CWP No. 7493/2007 passed by the High Court Of Punjab & Haryana at Chandigarh)

G.G.S. MED.INST.OF & HOSP.OF ELECT.& ANR Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. Respondent(s)
office report for direction)

WITH
SLP(C) No. 14388/2010
(With Office Report for Direction)

SLP(C) No. 29919/2011
(With Office Report for Direction)

SLP(C) No. 19046/2012
(With Office Report for Direction)

SLP(C) No. 21611/2012
(With Office Report for Direction)

Date : 22/01/2015 These petitions were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE VIKRAMAJIT SEN
HON'BLE MR. JUSTICE C. NAGAPPAN

For Petitioner(s) Mr. Anurag Dubey, Adv.
Mr. Meenesh Dubey, Adv.
Ms. Ila Haildia, Adv.
Mr. S. R. Setia,Adv.

Mr. Bharat Singh, Adv.
Mr. Ashish Kr. Upadhyay, Adv.
Mr. Amuit Pawan, Adv.

Signature Not Verified

Mr. Chandra Shekhar, Adv.
Mr. Sanjay Kumar Tyagi,Adv.

Mr.S.R. Singh,. Sr.Adv.
Ms. Savitri Pandey, Adv.
Dr. (Mrs.) Vipin Gupta,Adv.

Mr. Vivek Chaudhari, Adv.
Mr. Pabnkaj Bhatia, Adv.
Dr. Kailash Chand, Adv.

For Respondent(s) Mr. P.S. Narasimha, ASG
Mr. R.S. Suri, Sr.Adv.
Mr. M.P. Gupta, Adv.
Mr. Chetan Chawla, Adv.

Mr. Mohan Prasad Gupta, Adv.
Mr. D. S. Mahra, Adv.

Mr. Irshad Ahmad, AAG, UP
Ms. Archana Singh, Adv.
Mr. Anurag Rawat, Adv.
Mr. Abhisth Kumar, Adv.

Mr. Saurabh Ajay Gupta, Adv.
Mr. Saurabh Singhal, Adv.

For Intervenor Ms. Niranjana Singh, Adv.
Mr. Ram Bhaj, Adv.

For Intervenor Mr. APS Shergill, Adv.
Mr. Kuldip Singh, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Learned Counsel for the Petitioners submit that in view of the counter affidavit filed by the Union of India, to the effect that there is no ban on the Medical Practice of Electro Homoepathy, the Petitioners do not wish to press the present Special Leave Petitions. It is also submitted that Circular dated 5th May, 2010 is also on similar lines. Therefore, they have instructions not to press these Petitions. The Special Leave Petitions are dismissed as not pressed.

(USHA BHARDWAJ)
AR-CUM-PS

(SAROJ SAINI)
COURT MASTER